मनुस्मृति में स्त्री-विमर्श

SNKT2006 - संस्कृतवाङ्मये स्त्री-विमर्शः

एम० ए० द्वितीयसत्रम्

डॉ० विश्वेशवाग्मी

सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः

महात्मा-गाँधी-केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, बिहारः

vishujnu@gmail.com

विषयक्रम

- परिवार में स्त्री का महत्त्व –
- विवाह का अधिकार –
- बहुविवाह पाप है –
- दहेज का निषेध –
- स्त्रियों के स्वाधिकार –
- संपत्ति में अधिकार –
- स्त्रियों को प्राथमिकता –
- स्त्रियों को पीडित करने पर कठोर दण्ड -

मनुस्मृति में वर्णित स्त्री की महत्ता

- मनुस्मृति का अध्ययन किए बिना आज का तथाकथित प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग भारतीय समाज की प्रत्येक समस्या का कारण मनुस्मृति को बताने का प्रयास करता है।
- पूर्वाग्रहो से मुक्त होकर यदि प्रक्षेपणरहित मूल मनुस्मृति का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह अत्यंत उत्कृष्ट कृति है | वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार देती है | आज के अत्याधुनिक स्त्रीवादी भी इस उच्चता तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं |
- नीत्शे के अनुसार मेरी दृष्टि में मनुस्मृति के अतिरिक्त दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं आया जहाँ स्त्री के प्रति इतने अधिक ममतापूर्ण और दयापूर्ण उद्गार हों।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ।। मनुस्मृति ३.५६

जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का आदर – सम्मान होता है, वहां देवता अर्थात् दिव्यगुण और सुख- समृद्धि निवास करते हैं और जहां इनका आदर – सम्मान नहीं होता, वहां अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल हो जाते हैं भले ही वे कितना ही श्रेष्ट कर्म कर लें, उन्हें अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है |

परिवार में स्त्री का महत्त्व

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणं ईप्सुभिः।।३.५५

– पिता, भाई, पति या देवर कोअपनी कन्या, बहन, स्त्री या भाभी को हमेशा यथायोग्य मधुर-भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार काक्लेश नहीं पहुंचने देना चाहिए|

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।।३.५७

– जिसकुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषोंसे पीड़ित रहती हैं, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है|

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।।३.५८

अनादर के कारण जो स्त्रियां पीड़ित और दुखी: होकर पति, माता-पिता, भाई, देवर आदि को शाप देती हैं या कोसती हैं। वह परिवार ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पूरे परिवार को विष देकर मारने से, एक बार में ही सब के सब मर जाते हैं |

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वं एव न रोचते ।।३.६२

- जो पुरुष, अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, उसका पूरा परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।।९.२६

– संतान को जन्म देकर घर का भाग्योदय करने वाली स्त्रियां सम्मान के योग्य और घर को प्रकाशित करनेवाली होती हैं | शोभा, लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं है | यहां महर्षि मनु उन्हें **घर की लक्ष्मी** कहते हैं |

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः । ।९.९६

– पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, अत: साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी पति -पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए |

मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् । ।४. १८०

– एक समझदार व्यक्ति को परिवार के सदस्यों – माता, पुत्री और पत्नी आदि के साथ बहस या झगडा नहीं करना चाहिए |

विवाह का अधिकार

कामं आ मरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यार्तुमत्यपि ।
न चैवैनां प्रयच्चेत्तु गुणहीनाय कर्हि चित् । ।९.८९

– चाहे आजीवन कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठी भी रहे परंतु गुणहीन, अयोग्य, दुष्ट पुरुष के साथ विवाह कभी न करे |

✓ विवाह योग्य आयु होनेके उपरांत कन्या अपने सदृश्य पति को स्वयं चुन सकती है | यदि उसके माता -पिता योग्य वर के चुनाव में असफल हो जाते हैं तो उसे अपना पति स्वयं चुन लेने का अधिकार है |

✓ भारतवर्ष में तो प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा भी रही है | अत: यह धारणा कि माता – पिता ही कन्या केलिए वर का चुनाव करें, मनु के विपरीत है | महर्षि मनु के अनुसार वर के चुनाव में माता- पिता को कन्या की सहायता करनी चाहिए न कि अपना निर्णय उस पर थोपना चाहिए |

दहेज का निषेध

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ।
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ।। ३.५२ ।।

✓ इस तरह, मनुस्मृति विवाह में किसी भी प्रकार के लेन- देन का पूर्णत: निषेध करती है ताकि किसी में लालचकी भावना न रहे और स्त्री के धन को कोई लेने की हिम्मत न करे |

✓ यहां तक कि मनुस्मृति तो दहेज़ सहित विवाह को 'दानवी' या 'आसुरी' विवाह कहती है –

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।
अर्हणं तत्कुमारीणां आनृशंस्यं च केवलम् ।। ३.५४ ।।

स्त्रियों के स्वाधिकार

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ।।९ .११

– धन को सम्भालने एवं उसके व्यय की जिम्मेदारी, घर और घर के पदार्थों की शुद्धि, धर्म और अध्यात्म के अनुष्ठान आदि में स्त्री को पूर्ण स्वायत्ता मिलनी चाहिए और यह सभी कार्य उसी के मार्गदर्शन में होने चाहिए |

इस श्लोक से यह भ्रांत धारणा निर्मूल हो जाती है कि स्त्रियां वैदिक कर्मकांड का अधिकार नहीं रखतीं | इसके विपरीत उन्हें इन अनुष्ठानों में अग्रणी रखा गया है |

सम्पत्ति में अधिकार

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्यां आत्मनि तिष्ठन्त्यां कथं अन्यो धनं हरेत्।।९.१३०

– पुत्र के ही समान कन्या है, उस पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा उसकी संपत्ति के अधिकार को कैसे छीन सकता है ?

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्।।९.१३१

– माता की निजी संपत्ति पर केवल उसकी कन्या का ही अधिकार है |

महर्षि मनु कन्या के लिए यह विशेष अधिकार इसलिए देते हैं ताकि वह किसी की दया पर न रहे, वह स्त्री को स्वामिनी बनाना चाहते हैं, याचक नहीं |

स्त्रियों की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करते हुए, मनु स्त्री की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने वाले, चाहें उसके अपने ही क्यों न हों, उनके लिए भी कठोर दण्ड का प्रावधान करते हैं |

वशापुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ।। ८.२८ ।।

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः ।
ताञ् शिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ।। ८.२९ ।।

– अकेली स्त्री जिसकी संतान न हो या उसके परिवार में कोई पुरुष न बचा हो या विधवा हो या जिसका पति विदेश में रहता हो या जो स्त्री बीमार हो तो ऐसे स्त्री की सुरक्षा का दायित्व शासन का है और यदि उसकी संपत्ति को उसके रिश्तेदार या मित्र चुरा लें तो शासन उन्हें कठोर दण्ड देकर, उसे उसकी संपत्ति वापस दिलाए |

स्त्रियों को प्राथमिकता

✓ स्त्रियों की प्राथमिकता (लेडिज फर्स्ट) के जनक महर्षि मनु ही हैं –

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ।। २.१३८ ।।

- स्त्री, रोगी, भारवाहक, अधिक आयुवाले, विद्यार्थी, वर और राजा को पहले रास्ता देना चाहिए |

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् । ।३.११४

- नवविवाहिताओं, अल्पवयीन कन्याओं, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को, आए हुए अतिथियों से भी पहले भोजन कराएं |

स्त्रियों को पीडित करने पर कठोर दण्ड

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधं अर्हति । ।८.३२३

- स्त्रियों का अपहरण करनेवालों को प्राण दण्ड देना चाहिए|

कूटशासनकर्तॄंश्च प्रकृतीनां च दूषकान् ।
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्द्विट्सेविनस्तथा । ।९.२३२

- स्त्रियों, बच्चों और सदाचारी विद्वानों की हत्या करने वाले को अत्यंत कठोर दण्ड देना चाहिए

सन्दर्भ-

- धर्मशास्त्र का इतिहास, डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, १९९२
- प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी, डॉ० गजानन शर्मा, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद।
- कल्याण नारी अंक, गीतप्रेस गौरखपुर, उ० प्र०।
- The Position of Women in Hindu Civiligation, A.S. Altekar, Banaras, 1938.
- Women in Ancient India, Clarisse Bader, Chowkhamba Sanskrit Series Varanasi, 1964.
- www. agniveer.com

धन्यवादः